न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 25/दावा/97

1. नोलकचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री रामनारायण जाति ब्राहमण (खण्डेलवाल) निवासी ग्राम बडोदिया, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0) वगेरह

वादीगण

बनाम

1. चतुर्भुज आत्मज श्री सबोडिया आयु 70 वर्ष जाति कूम्हार निवासी बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मृतक के कायम मुकामान जरियें
1/1 श्रीमती भूली बाई बेवा चतरभुज आयु 65 वर्ष निवासी बडोदिया (पत्नि)
1/2 हजारीलाल आत्मज श्री चतरर्भुज आयु 45 साल निवासी बडोदिया (पुत्र)
1/3 रंगलाल आत्मज चतुरर्भुज आयु 42 साल निवासी बडोदिया (पुत्र)
1/4 बरधीलाल आत्मज चतरर्भुज आयु 39 वर्ष जाति कुम्हार नि0 बडोदिया (पुत्र)
1/5 हीरालाल आत्मज श्री चतरर्भुज आयु 35 वर्ष समस्त जातियान कुम्हार (पुत्र) निवासीगण ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत :– 188, 88 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30/08/2019

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2672 रकबा 6 बिस्वा ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली में स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में अंकित है। इस भूमि के पुराने खसरा संख्या 2172 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 2168 रकबा 2 बिस्वा है। उक्त भूमि खसरा संख्या 2172 में से निम्नलिखित चतुर्थ सीमा की 3 बिस्वा भूमि को वादीगण अपने पूर्वजों के समय से पिछले करीब 100 वर्षों से खातेदार काश्तकार की हेसियत से काश्त करते चले आ रहे है। चतुर्थ सीमा भूमि – पूर्व में – इसी खसरा नम्बर 2672 की शेष 3 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे में है। पश्चिम में – वादीगण के खाते व कब्जे की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2674 रकबा 1 बिघा 7 बिस्वा। उत्तर में – वादीगण के खाते व कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 2673। दक्षिण मे – वादीगण के खाते व कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 2671 रकबा 12 बिस्वा। उक्त भूमि में वादीगण ने 10*10 फुट का पक्का चबूतरा बना रखा है तथा गन्ना पेलने की चरखी (गन्ना थ्रेसर) लगाई हुई है तथा डीजल इंजन भी पत्थर पर फिट किया हुआ है ओर गन्ने का रस पकाने की तीन भटिटयां भी बनी हुई है। प्रतिवादी नम्बर

Scanned by CamScanner

ने भी उक्त भूमि पर काफी लम्बे वर्षो से वादीगण व उनके पूर्वजों का खातेदार काश्तकार की हेसियत से कब्जा माना हुआ है। इस सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पिता व पति स्वर्गीय श्री रामनारायण जी के पक्ष में दिनांक 12.11.67 को एक तहरीर भी निष्पादित कर उस पर अपना अगूंठा निशानी किया हुआ है व गवाही गवाहान करा रखी है। तथा उसी तहरीर में प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण के पूर्वजों का देरीना कब्जा होना माना हुआ है। जैसा कि उपर निवेदन किया गया है कि वादीगण का पिछले 100 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से बेरोक टोक खातेदार काश्तकार की हेसियत से कब्जा चला आ रहा है। इस कारण कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है व प्रतिवादी नम्बर 1 का उक्त भूमि पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63(4) के अनुसार कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका है जिसकों स्वयं प्रतिवादी नम्बर 1 स्वीकार कर चुका है। राजस्व रेकार्ड में खातेदार के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम अंकित होने से वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होने की सम्भावना बनी रहती है व प्रतिवादी नम्बर 1 भी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करता रहता है व उसी आशय की धमकियां वादीगण को देते रहते है। वही धमकी प्रतिवादी ने दिनांक 16.03.97 को भी वादीगण को दी है। यही वादोत्पति का कारण है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि के संबंध में स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करावें व राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर स्वयं का नाम खातेदार के रूप में अंकित करावें, एवं प्रतिवादी नम्बर 1 जबरन उक्त भूमि पर कब्जा नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। वाद कारण दिनांक 16.03.97 को न्यायालय की न्याय प्रभूत्व सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ है। न्यायालय को न्याय प्रभूत्व प्राप्त है। वाद निश्चित कोर्ट फीस 1/–रूपये पर अवधिमध्य प्रस्तुत है। प्रतिवादी नम्बर 2 को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से व आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी के पक्ष में प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें – (अ) उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 2672 रकबा 3 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

(ब) राजस्व रिकोर्ड में खातेदार के रूप में अंकित प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित किया जावें।

(स) इस हेतु प्रतिवादी नम्बर 2 को आदेशित किया जावें।

(द) प्रतिवादी नम्बर 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, न ही ऐसा किन्हो अन्यों से करावें।

(य) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 से दिलाया जावें।

अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 1/5 की ओर से निम्न जवाब दावा पेश है –

1. वाद पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है।
2. वाद पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार नही, अस्वीकार है।
3. वाद पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है।
4. वाद पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है।

Scanned by CamScanner

5. वाद पत्र की चरण संख्या 5 अस्वीकार है।
6. वाद पत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार है।
7. वाद पत्र की चरण संख्या 7 अस्वीकार है।
8. वाद पत्र की चरण संख्या 8 कानूनी है।
9. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 कानूनी है।
10. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 कानूनी है।

प्रार्थना वादीगण अस्वीकार है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें एवं प्रतिवादीगण को वादी से 1000/–रूपये विशेष हर्जा भी दिलाया जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2008 को निर्णय में खारिज कर देने पर उसके विरूद्व वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में अपील संख्या 80/2008 बउनवान नोलकचंद बनाम हजारी लाल दर्ज करवाने पर उक्त उनवानी अपील में निर्णय दिनांक 03.05.2012 से निर्णय करते हुये अपीलीय न्यायालय ने इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27.06.2008 निरस्त कर वादी से 50 रूपये कोस्ट जमा करवाने पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया। प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को सुनवाई हेतु अवसर दिये गये। वादीगण द्वारा 50 रूपये कोस्ट राजकोष में जमा करवा दिये जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

हमने पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया व वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। बाद विवेचन विवादित भूमि खसरा खसरा सं0 2672 रकबा 3 बिस्वा ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया में स्थित है जो कि राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी चतुर्भुज आ0 सबोडिया कुम्हार निवासी बडौदिया के खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। उक्त अन्य व्यक्ति के खाते में दर्ज खातेदारी भूमि पर वादीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड बेचान नामें के आधार व कब्जा मुखालफाना (Adverse passion) के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहा गया है। अनरजिस्टर्ड बेचाननामा/कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि वर्जित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 में खातेदारी अधिकारों का निर्वासन बताया गया है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय न्यायालयों द्वारा भी न्यायिक आदेश पारित किये गये है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने/पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार किया जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Scanned by CamScanner